मैं आपके ईश्वर से नाराज़ नही हूँ

मैं आपके ईश्वर से नाराज़ नही हूँ
आपके नेता से भी मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है
ना ही आपकी राजनैतिक और धार्मिक आस्थाएं मेरी चिढ़ की वजह हैं
असल में तो मैं आपसे नाराज़ हूँ ।

आप जब अपने सामने भूख से मरते बच्चे की भूख पर सवाल नहीं उठाते
और ईश्वर की पूजा का बहाना कर आँखें बंद कर लेते हैं
उस समय मुझे आपका ईश्वर दुनिया की सबसे धूर्त चीज़ लगता है ।
असल में मैं आपके ईश्वर के नहीं आपकी चालाकी के खिलाफ हूँ

आपका नेता करूर है
वो अपने लालच के लिए लाखों लोगों की जान लेने के लिए प्रसिद्ध है
जब आप उसे अपना प्रिय नेता कहते हैं
तब आपके सामने मैं पूरी ताकत से उसके खिलाफ बोलने लगता हूँ
असल में मैं आपके नेता के नहीं आपके लालच के खिलाफ हूँ ।

जब आपकी सेना कुचलती है निर्दोष
औरतों और बच्चों को
और आप गुण गाते हैं अपनी सेना के
तब मुझे सेना पर नहीं
आप पर चिल्लाने का मन करता है
इसलिए जब मैं सेना के खिलाफ बोलता हूँ
तो दरअसल मैं आपकी क्रूरूता के विरुद्ध बोल रहा होता हूँ ।

मेरी लड़ाई आप सब से है
मुझे पता है
आप फिर एक स्वार्थी ईश्वर
फिर एक लालची नेता
और फिर से एक करूर सेना बना लेंगे
क्योंकि ये सब आप ही की पैदाइश हैं
इसलिए मैं हमेशा आप से लड़ता रहूँगा ।

आप भी हमेशा से थे
मैं भी हमेशा से था ।
न आप कभी मरे
न मैं कभी मरा ।

. हिमांशु कुमार

जो विभाग खुद टोटे की आग में झुलस रहा हो, शहर की आग क्या बुझायेगा ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) इसी पखवाड़े (16 मई को) एन आई टी के एक नम्बर में मिलाप दवाखाने के निकट एक कपड़े की दुकान में लगी आग ने भीषण रूख अख्यार कर लिया था। आसपास की प्लाईवुड व दवाइयों की दुकानें भी उसकी जद में आने को तैयार थीं। आग का पता लगते ही तुरंत अग्नि शमन केन्द्र को सूचित किया गया। करीब आधे घंटे में एक बड़ी व एक छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची। छोटी का पानी तो तुरन्त खत्म हो गया और बड़ी का भी ज़्यादा देर न चल पाया। कुछ तो गाड़ी में ही पानी कम था, दूसरे पानी की धार को आग तक पहुंचाने वाले पाइप कंडम होने की वजह से आग तक कम ही पानी पहुंच पाया। दूसरी गाड़ियां भी जब तक पहुंची आग काफ़ी उग्र रूप धारण कर चुकी थी। इसके चलते लाखों का माल जल कर खाक हो गया।

किसी भी शहर में आग बुझाने का दायित्व सरकार एवं उसकी नगर परिषद अथवा नगर निगम का होता है। अगर सरकार की ये एजेंसियां सही समय पर त्वरित गति से सही काम करें तो आग लगने की स्थिति में कोई भी शहरवासी भारी जान-माल की हानि से बच सकता है। परन्तु जिस तरह से पूरी सरकारी मशीनरी एवं व्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, अग्नि शमन विभाग भी इससे अछूता नहीं बचा है। आम आदमी, खासतौर पर पीड़ित इसके लिये उन कर्मचारियों को दोषी मानता है जो मौके पर जान जोखिम में डाल कर आग बुझाने का काम करते हैं। आम आदमी सत्ता में बैठे उन लोग़ों को नहीं देख पाता जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को पंगू बना दिया है। पाठकों की जानकारी के लिये बता दें कि 1975 में इस पूरे शहर (कम्पलेक्स एरिया) के लिये 2 ए डी एफ़ ओ, 4 एफ़ एस ओ, 6 ए एफ़ एस ओ, 9 लीडिंग फ़ायरमैन, 36 फ़ायरमैन और 23 ड्राइवर के स्वीकृत पद थे और लगभग सभी तैनातियां भी पूरी थीं। आज 40 वर्ष बाद शहर की आबादी दस गुणा से भी अधिक बढ गयी है। लेकिन उक्त स्वीकृत पदों को बढाने की बजाय इन पर तैनातियां ही घटा दी। आज ए डी एफ़ ओ एक भी नहीं, एफ़ एस ओ कुल 3 इनमें से भी एक का तबादला फ़तेहाबाद का कर रखा है। ए एस ओ एक, लीडिंग फ़ायर मैन 9 से घट कर 4, फ़ायरमैन 36 से घट कर 23 रह गये हैं तथा ड्राइवर 23 से घट कर बचे हैं 13 मात्र। गौरतलब यह भी है कि 1975 में जब भारी भरकम स्टाफ़ तैनात किया गया था उस समय गाड़ियां थीं कुल 4 और आज जब स्टाफ़ आधे से भी कम रह गया है तो गाड़ियां हो गयी हैं 13, यानी एक गाड़ी पर एक ड्राइवर। अब सवाल यह उठता है कि एक ड्राइवर कितने घंटे की ड्यूटी दे सकता है। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि ड्राइवर को रोडवेज की बस की तरह ड्यूटी समय में लगातार गाड़ी तो चलानी नहीं पड़ती। कभी-कभार आग बुझाने के लिये गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। लेकिन यहां एक सवाल यह उठता है कि क्या एक ड्राइवर लगातार 24 घंटे व सातों दिन गाड़ी से बंध कर बैठ सकता है ? नहीं। इसके लिये अग्निशमन केन्द्रों पर ड्राइवरों व सारे स्टाफ़ के लिये सरकार ने रिहायशी घर बनाये थे। लेकिन आज ये अपर्याप्त हैं। नेहरू ग्राऊंड वाले केन्द्र में तो रिहायशी मकानों के साथ-साथ पूरा केन्द्र ही जरजर हालत में है। बरसात में वहां घुटने-घुटने तक पानी भर जाता है। ऐसे में कौन तो वहां रह ले और क्या काम कर लेगा। इस केन्द्र में एक ही मकान रहने लायक बचा है उस पर पूर्व निगमायुक्त के गनमैन ने कब्ज़ा जमा रखा है। फ़ायर स्टेशन से दूर रहकर सातो दिन 24 घंटे कोई भी नौकरी नहीं कर सकता।

1975 में जिस समय उपरोक्त व्यवस्था की गयी थी, उस वक्त 'आग' के नाम पर कोइ अलग से टैक्स नहीं होता था। परन्तु अब हर दुकान यानी व्यापारिक प्रतिष्ठान, फ़ैक्ट्री आदि से गृहकर के साथ अगिनशमन कर अलग से वसूला जाता है। यह कर देने के बावजूद कोई भी फ़ैक्ट्री वाला उनके भरोसे न रह कर अपने-अपने पुख्ता प्रबन्ध करके रखता है; बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्य लोग़ों की मदद करने अग्नि-स्थल पर पहुंच कर मुफ़्त में आग बुझाते हैं। जबकि नगर निगम वाले प्रति गाड़ी का प्रति घंटे की दर से चार्ज करते हैं और तो और कई बार खाली गाड़ी लाकर घटना-स्थल पर खड़ी कर देते हैं तो किसी ट्यूबवैल वाले से पानी खरीद कर देना भी पीड़ित के ही ज़िम्मे होता है।

आग बुझने के बाद पीड़ित को अक्सर जरूरत पड़ती है प्रमाणपत्र की जिसके आधार पर उसे बीमे का क्लेम मिलना होता है। अग्निशमन अधिकारी इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिये पीड़ित से सौदेबाज़ी करता है। वह क्लेम में मिलने वाली सम्भावित राशि का परसेंटेज मांगता है। शायद ही कोई प्रमाणपत्र बिना लिये दिये जारी होता हो। किसी भी बड़े संस्थान को चालू करने से पूर्व एन ओ सी (अनापत्ति) प्रमाणपत्र इस विभाग से लेना पड़ता है, जैसे कि अब यहां बन रहे मेडिकल कॉलेज को लेना पड़ रहा है। यदि संस्थान सरकारी है तो एन ओ सी के लिये आग बुझाने का सामान उस दुकान से लेना पड़ता है जो अग्निशमन अधिकारी बताये और प्राईवेट है तो सामान खरीदने के अलावा रिश्वत नकद अलग से देनी होगी। कहने की जरूरत नहीं कि यह सब धंधेबाज़ी अधिकारी/कर्मचारी अपने स्तर एवं अपने दम पर नहीं कर सकता। इतना खुला काम केवल तब ही चल पाता है जब उच्चतम अफ़सरशाह और राजनेताओं का पूरा संरक्षण प्राप्त होता है।

पुलिस ने सड़क के गड्ढे भरे... तो निगम वाले कहां से खायेंगे

फ़रीदाबाद (म.मो.) अनखीर पुलिस चौकी के ठीक सामने (बड़खल की ओर से आने) वाली सड़क पर काफ़ी खतरनाक गड्ढे हो गये थे। इन गड्ढों को भरना, सड़क की मुरम्मत करने आदि का काम नगर निगम का है। परन्तु निगम वाले आसानी से इस तरह के काम करते नहीं हैं। असल में उनका ध्यान काम की बजाये कमाई पर रहता है। उधर पुलिस की मुसीबत यह थी कि उनकी चौकी के सामने यदि कोई वाहन-सवार दुर्घटनाग्रस्त हो जाये तो पुलिस चौकी वाले तो मुंह नहीं फ़ेर सकते और न ही नगर निगम वालों को बुला सकते हैं।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चौकी वालों ने 2-4 कट्टे सीमेंट, रोड़ी व डस्ट का प्रबन्ध करके, बिना कोई भाड़े का मज़दूर लगाये खूद श्रम दान करके उन गड्ढों को इस तरह से भर दिया कि बाकी सारी सड़क बेशक टूट जाये पर वहां से कभी नहीं टूटने वाली। जनहित में पुलिस की यह कार्यवाही प्रशंसनीय है, परन्तु पुलिस यदि यूं ही गड्ढे भरने लगी तो निगम के खून चूसने वाले पिस्सुओं का क्या होगा जो हर वर्ष 80-90 लाख की बजट इसी काम के लिये बना कर डकार जाते हैं ? पुलिस वालों ने जहां सीमेंट रोड़ी से मजबूत काम कर दिया वहीं ये पिस्सू साधारण मिट्टी एवं मलवा आदि डाल कर कूट देते हैं जो चन्द दिनों में ही उड़ जाता है।

सभी शहरवासी जानते हैं कि नगर निगम की बनाई हुई कोई भी सड़क साल दो साल में बोल जाती है। फ़िर इसकी मुरम्मत अथवा पैच वर्क का बजट बनता है, उसके अगले साल दोबारा पूरी कार्पेटिंग का काम होता है। जबकि एक बार बनी हुई सड़क 10 साल तक भी हिलनी नहीं चाहिये। यदि ऐसा होने लगे तो शहर की जनता के खून पर पलने वाले पिस्सुओं के तो बच्चे भूखे मरने लगेंगे। इसलिये इनको ज़िन्दा रखने के लिये सड़कों का बार-बार टूटना और बनते रहना बहुत जरूरी है।

मज़दूर मोर्चा

नियमित रूप से हर माह की पहली व सोलह तारीख को प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से संपर्क करें। कोई दिक्कत होने पर फ़रीदाबाद के पाठक शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर तथा बल्लभगढ़ के पाठक अरोड़ा न्यूज़ एजेन्सी फोन नं 9811477204, करनाल के पाठक अशोक कुमार जैन, फुटवियर जवाहर मार्किट सदर बाजार से फोन नं 9896436739 पर सम्पर्क करें।

फरीदाबाद में अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीनल सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. पीपीएच बुक शॉप, नियर सैन्ट्रल लाईब्रेरी, न्यू कैम्पस,जे.एन.यू।
10. स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब